

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना (म0प्र0)

// आदेश //

कमांक-.....17..... /लेखा अनु./2022

मुरैना, दिनांक-०४ -01-2022

वर्तमान में कोरोना-19 महामारी के नये वैरियंट ओमीक्रोन के अत्यधिक तीव्रता से फैलने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर कलेक्टर रेट प्रवर्ग की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 13.01.2022 से 15.01.2022 तक की अवधि में आयोजित साक्षात्कार, माननीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय की सहमति एवं निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।



(सुबोध कुमार जैन)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुरैना (म0प्र0)

पुष्पांकन कमांक- ५४ /लेखा अनु./2021
प्रतिलिपि:-

मुरैना, दिनांक-०४-०१-21

01. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, (न्यायिक जिला स्थापना मुरैना) उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर माननीय महोदय के सम्मक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
02. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
03. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 13.01.2022 से 15.01.2022 तक साक्षात्कार हेतु शेष रहे अभ्यर्थियों को एस.एम.एस. /ई-मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलंब देवें।
04. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग मुरैना की ओर जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने बावत् प्रेषित।
06. पुलिस अधीक्षक मुरैना/नगरनिगम आयुक्त मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. आई.टी. असिस्टेंट जिला न्यायालय मुरैना की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
08. जन संपर्क अधिकारी, मुरैना की ओर इस निर्देश के साथ आदेश की प्रति प्रेषित है कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

०/८



(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुरैना (म0प्र0)